परियोजना निदेशक का कार्यालय,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 05/2017–18

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदको से निम्नांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

01	विभाग	कल्याण विभाग, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
02	विज्ञापन दाता का नाम	परियोजना, निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर
03	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि	28.03.18 से 30.03.18
04	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	03.04.18 को 13:00 बजे अपराह्न तक
05	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	03.04.18 को 16:00 बजे अपराह्न
06	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	आई0टी0डी0ए0, कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
07	निविदा प्राप्ति का स्थान	आई0टी0डी0ए0, कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

08. कार्य की विवरणी

क्र0	प्रखंड का नाम	कार्य का नाम	प्रा0 राशि लाख में	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
01	पोटका	पंचायत ग्वालकाटा , ग्राम बाराघुटू अन्तर्गत गेदमा नाला पर चैक डेम का निर्माण	2473191	50000	5000	3 माह
02	पोटका	पंचायत गंगाडीह , ग्राम भाटोबेरा अन्तर्गत नागा नाला पर चैक डेम का निर्माण	2494846	50000	5000	3 माह
03	पोटका	पंचायत चाकरी , ग्राम पोराहातु अन्तर्गत रामगढ़ नाला पर चैक डेम का निर्माण	2473191	50000	5000	3 माह

निविदा की शर्ते :–

विशेष शर्ते आम शर्तो पर अवक्रमन होगा।

परिमाण विपत्र क्रय हेतु निम्नांकित शर्तो को पूरा करना होगा।

1. ग्रामीण कार्य विभाग/ लघु सिंचाई विभाग में दोनों अथवा किसी एक विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगे एवं परिणाम विपत्र के क्रय हेतु निबंधन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
2. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से देय होगा।
3. कार्य आवंटन में स्थानीय संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
4. कार्य आवंटन में समुचित श्रेणी के संवेदको को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
5. कार्य आवंटन में अनुभवी संवेदको को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. निविदादाता को योजना से संबंधित Work Program देना अनिवार्य होगा।
7. किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
8. निविदा के साथ जमा की जानेवाली अग्रधन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है (दो प्रतिशत निकटतम हजार रू0 में परिवर्धित) डाक घर के 6/8 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रामाण–पत्र या 3/5 वर्षीय डाक घर सावधि

जमा पासबुक या राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का 5 वर्षीय नियमित जमा सर्टिफिकेट समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।

9. निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. डीजल, पेट्रोल अथवा कार्य में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों की कीमत में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदुरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा, लेकिन किसी प्रकार का अंतर मूल्य का दावा मान्य नहीं होगा।
12. निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लधु खनिजों की आपूर्ति संवेदक का वैद्य श्रोत से सुनिश्चित करना अनिवार्य है, एवं एतद विषयक खनन विभाग द्वारा जारी स्वामित्व अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करने के उपरांत ही नियमानुसार विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
13. समुचित गुणवत्ता वाले निर्माण सामग्री यथा– सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू इत्यादि की व्यवस्था कर संवेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर किसी भी निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में अंतर मूल्य भुगतान नहीं होगा।
14. परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम दर से नीचे का दर मान्य नहीं होगा।
15. निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा वे कार्य सबलेट नहीं करेंगे।
16. कार्य आवंटन होने को पश्चात सात दिनों के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अथवा निविदा को रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
17. विना कारण बताये एक या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार या एक से अधिक संवेदक को कार्य आवंटन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी या विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
18. निविदा के साथ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण –पत्र, बिक्रीकर स्वच्छता प्रमाण – पत्र अद्यतन जी0एस0टी0 रिटर्न प्रमाण–पत्र एवं पैन कार्ड संवेदको का आई0डी0 (युकेन) प्रमाण – पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. निविदाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।
20. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार राशि कटौती कर ली जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि मान्य होगी।
21. 01 (एक) प्रतिशत राशि लेवर सेस वेलफेयर फंड विपत्र से कटौती किया जाएगा, जो वापस देय नहीं होगा।
22. आयकर एवं बिक्रीकर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जाएगी जिसका समर्पण एवं वापसी की प्रकिया संबंधित विभाग से ही करा सकेंगे।
23. योजना प्रारंभ करने से पूर्व योजना कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत स्थल का फोटोग्राफ कराकर संवेदक तीन तीन प्रतियों में कार्यालय में (अपनी लागत से) समर्पित करेंगे।
24. कार्यान्वयन की जा रही योजना का स्थल पर सुगोचर स्थान पर एक सूचना पट लगाया जाएगा जिसमें योजना का नाम एवं पूरी विवरणी अंकित की जाएगी।
25. वैसे संवेदक जिनका कार्य पूर्व से लम्बित है , उनको कार्य आवंटन नही किया जायेगा।
26. परिमाण विपत्र क्रय का नाजीर रसीद प्राप्त कर निविदा के साथ नाजीर रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

परियोजना निदेशक,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक : 558, दिनांक : 16-3-2018

प्रतिलिपि : उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सादर सूचार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, स्वर्णरेखा प्राजेक्ट, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।